

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/व्यव0/2026-27/2027-28/सा0निर्देश/ व्यवस्थापन/ देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण

वित्तीय वर्ष 2026-27

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांक में	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्युतम प्रत्याभूत इयूटी (कॉलम 3-4)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 3 का 2%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आराकोट	5047120	50000	4997120	100942	757068	416427	416427
2	हर्षिल/झाला	24000000	240000	23760000	480000	3600000	1980000	1980000
3	सांकरी	17915788	179000	17736788	358316	2687368	1478066	1478066

वित्तीय वर्ष 2027-28

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांक में	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्युतम प्रत्याभूत इयूटी (कॉलम 3-4)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 3 का 2%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वर्ष 2027-28 हेतु नवीनीकरण शुल्क निर्धारित राजस्व का 0.35% या 50000 जो अधिक हो (कॉलम 3 का 0.35%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आराकोट	5249005	52000	5197005	104980	787351	433084	433084	50000
2	हर्षिल/झाला	24960000	250000	24710000	499200	3744000	2059167	2059167	87360
3	सांकरी	18632420	186000	18446420	372648	2794863	1537202	1537202	65213

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफंडेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के पक्ष

2